बिहार सरकार
समाहरणालय, नवादा, ।
नवादा – 805110
(खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय)
ज्ञापांक 156 /आ0,नवादा दिनांक 24 वी फरवरी 2016 ई0।

सूचना

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार पटना द्वारा सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली नियंत्रण तृतीय (संशोधन) आदेश–2014 जो ज्ञापांक 61/खाद्य दिनांक 05.01.2015 से निर्गत है के आलोक में आदर्श आरक्षण रोस्टर बिन्दु के आधार पर रिक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नियुक्ति की जानी है। उपर्युक्त आलोक में इस जिला में कुल उपलब्ध रिक्ति के अनुसार विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2016 तक संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में निबंधित डाक द्वारा जमा किया जा सकता है । विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रावधानों के आलोक में रिक्त पदों पर कोटिवार नियुक्ति होगी।

आवेदक की योग्यता :–

1. भारत का नागरिक हो ।
2. आवेदन की तिथि को आवेदक का आयु 18 वर्ष से कम नही होना चाहिए ।
3. स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत/सहकारी समितियां/महिलाएं/महिलाओं की सहयोग समितियां/पूर्व सैनिक के सहकारी समितियां/विकलांग/शिक्षित बेरोजगार।

अयोग्यता :–

1. संयुक्त परिवार के किसी सदस्यों के नाम से लक्षित जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति नही होनी चाहिए । परिवार की परिभाषा में निम्नलिखित सदस्य परिवार माने जायेगें:– माता–पिता,भाई–भाभी,पति–पत्नी,पुत्र–पुत्रवधु, सौतेला भाई ।
2. मुखिया/सरपंच/वार्ड सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/पंच के सदस्य/जिला परिषद् सदस्य/विधायक/सांसद /नगर निगम/नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य ।
3. आटा चक्की के मालिक ।
4. अवयस्क/पागल/विकृतचित/दिवालिया ।
5. आवेदक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं पाया गया हो ।
6. किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत न हो ।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये विवरणी की सम्पुष्टि में प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता, जाति/आवासीय प्रमाण–पत्र/ अंक पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है। नियुक्ति में स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत सहकारी समितियॉ, महिलाएँ/महिलाएँ की सहयोग समितियॉ, पूर्व सैनिको की सहकारी समितियॉ, विकलांग, शिक्षित बेरोजगार, संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

नोटः–
1. विस्तृत जानकारी/आवेदन प्रपत्र जिला के बेवसाइट Nawada.bih.nic.in /अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
2. आवेदन पत्र विहित प्रपत्र मे नहीं रहने अथवा अधूरा रहने अथवा निर्धारित अंतिम तिथि (31.03.2016) के उपरांत प्राप्त होने पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
3. समय–समय पर सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में नियुक्ति के माणदंडों में परिवर्त्तन एवं रिक्ति की संख्या में किसी भी समय परिवर्त्तन किया जा सकता है ।

24/2/16
जिला पदाधिकारी
नवादा।